तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/244/2006/नागौर रामविलास बनाम नाथूराम मृतक जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री बिजेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 01.11.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, परबतसर पारित निर्णय दिनांक 02–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने वादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की फोटो प्रति वादी प्रार्थी के पास थी, जिन्हें प्रार्थी ने अपने वाद के साथ पेश किया था किन्तु मूल दस्तावेज प्रतिवादी अप्रार्थीगण के पास होने से प्रार्थनापत्र के माध्यम से तलब कराये जाने की प्रार्थना विचारण न्यायालय के समक्ष की गयी, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। उनका कथनहै कि वादी प्रार्थी एवं प्रतिवादी नाथूराम के मध्य विवादित आराजी में से 08बीघा भूमि बाबत् दिनांक 10–6–1990 को तय पंचों के मध्य राजीनामा हुआ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/244/2006/नागौर रामविलास बनाम नाथूराम मृतक जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

था, जिस पर पंचों एवं दोनों पक्षों के हस्ताक्षर है। उक्त राजीनामें के अनुसार विवादित भूमि में से 03बीघा भूमि प्रतिवादी नाथूराम व 5बीघा भूमि वादी के हिस्से में रखी गयी। उक्त राजीनामें की असल प्रति प्रतिवादी के कब्जे होने से साक्ष्य के दौरान उक्त दस्तावेज को प्रतिवादी से तलब कराया जाना आवश्यक था। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 11 नियम 12 व 14 जाप्ता दीवानी में प्रावधित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 जाप्ता दीवानी स्वीकार कर असल दस्तावेज प्रतिवादी से तलब किया जावे।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि प्रतिवादी नाथूराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा राजीनामा होने का तथ्य गलत है। उनका कथन है कि वादी प्रार्थी ने प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी प्रार्थी ने विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/244/2006/नागौर रामविलास बनाम नाथूराम मृतक जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् प्रतिवादीगण नाथूराम व मूलसिंह के विरूद्ध एक वाद इश्तकरार हक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वर्ष 1989 में प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद के साक्ष्य वादी के स्तर पर लम्बित रहने के दौरान वादी प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर दिनांक 10–06–1990 को लिखे गये पंच फैसले, सहमति पत्र, मुचलका पत्र आदि को नाथूराम उर्फ नाथूलाल प्रतिवादी से तलब कराये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी नाथूलाल का देहान्त हो चुका है तथा उसके वारिसान की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिनांक 10–06–1990 को राजीनामा होने के कथन से इन्कार किया गया है तथा थाने में क्या कार्यवाही की गयी, हम प्रतिवादीगण की जानकारी में नहीं होना अंकित किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि मृतक प्रतिवादी नाथूलाल के वारिसान को दिनांक 10–6–1990 को लिखे गये पंच फैसले आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में जब मृतक प्रतिवादी नाथूलाल के वारिसान दिनांक 10–06–1990 को लिखे गये तथाकथित पंच फैसले आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं होना कथन करते है तो उनसे उक्त असल दस्तावेज तलब कराये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यदि मृतक प्रतिवादी नाथूलाल के वारिसान उक्त तथ्य को स्वीकार करते तो उनसे उक्त असल दस्तावेज तलब कराया जा सकता था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय से प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/244/2006/नागौर रामविलास बनाम नाथूराम मृतक जरिये वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी में माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	